भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **2080**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021/19 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों हेतु एनबीएस दर

2080. श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री भोला सिंह:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2021-22 हेतु फॉस्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों के पोषण आधारित राजसहायता दरों के निर्धारण का अनुमोदन कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने एनबीएस योजना के अंतर्गत शीरे से प्राप्त पोटाश को शामिल करने का भी अनुमोदन कर दिया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री
(डा. मनसुख मांडविया)

(क): जी, हां। भारत सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में दो बार दिनांक 20.05.2021 और 13.10.2021 को वर्ष 2021-22 के लिए फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों की एनबीएस दरें अनुमोदित और अधिसूचित की हैं ताकि किसानों के लिए इन उर्वरकों की घरेलू कीमतों को वहनीय/तर्कसंगत बनाये रखा जा सके और किसानों के लिए इन उर्वरकों की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ख): 25 पीएंडके उर्वरकों के लिए अद्यतन एनबीएस दरों के साथ जारी की गई दिनांक 13.10.2021 की अधिसूचना 23011/1/2021 **अनुलग्नक-।** पर दी गई है।

(ग): जी, हां, शीरे से प्राप्त किए गए पोटाश को दिनांक 01.10.2021 से एनबीएस स्कीम के अंतर्गत पीएंडके उर्वरकों के 25वें ग्रेड के रूप में शामिल किया गया है।

(घ): शीरे से प्राप्त किए गए पोटाश को शामिल किए जाने संबंधी अधिसूचना सं.23011/1/2021 दिनांक 13.10.2021 अनुलग्नक-। में दी गई है।

(ड.): पीएण्डके उर्वरकों के कच्चे माल अर्थात अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तथा तैयार उत्पाद अर्थात डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में सतत वृद्धि का रुझान रहा है **(अनुलग्नक-।।)**। तदनुसार, डीएपी तथा सर्वाधिक खपत वाले तीन (3) एनपीके उर्वरकों (10:26:26, 20:20:0:13 तथा 12:32:16) के लिए भारत सरकार द्वारा 13.10.2021 को अतिरिक्त राजसहायता का एक विशेष एकबारगी पैकेज (01.10.2021 से 31.03.2022 तक लागू) प्रदान किया गया है ताकि रबी मौसम के दौरान एनबीएस दरों के रोलओवर को और सहायता प्रदान की जा सके तथा किसानों को उर्वरक वहनीय कीमत पर पर उपलब्ध कराये जा सकें।

*****

अनुलग्नक-'I'

सं.23011/1/2021-पीएण्डके
भारत सरकार
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 अक्टूबर, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) दरें, रबी 2021-22 (1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) के संबंध में डीएपी तथा सर्वाधिक खपत वाले 3 एनपीके ग्रेडों के लिए एकबारगी विशेष पैकेज और शीरे से तैयार किए गए पोटाश (पीडीएम) (0:0:14.5:0) का एनबीएस स्कीम के तहत समावेशन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय में दिनांक 20.05.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में यह संसूचित करने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2021-22 के लिए एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों में निहित पोषकतत्वों नामत: नाइट्रोजन (एन), फास्फेट (पी), पोटाश (के) एवं सल्फर (एस) पर 01.10.2021 से 31.03.2022 तक लागू प्रति कि.ग्रा. राजसहायता निम्नवत होगी:

क्र.सं.	**पोषक तत्व**	**एनबीएस (पोषकतत्व पर रु. प्रति कि.ग्रा.)**
1.	एन	18.789
2.	पी	45.323
3.	के	10.116
4.	एस	2.374

2. यह भी उल्लेख किया जाता है कि शीरे से तैयार किए गए पोटाश (पीडीएम) (0:0:14.5:0) को एनबीएस स्कीम के तहत पीएंडके उर्वरकों के 25वें ग्रेड के रूप में शामिल किया गया है।

3. वर्ष 2021-22 के लिए एफसीओ और एनबीएस स्कीम के तहत शामिल पीएण्डके उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों पर 01.10.2021 से 31.03.2022 तक लागू उत्पाद-वार राजसहायता निम्न प्रकार होगी:-

क्र.सं.	**उर्वरक का नाम**	**एनबीएस दरें (रु./एम टी में)**
1.	डीएपी 18-46-0-0	24231
2.	एमओपी 0-0-60-0	6070
3.	एसएसपी 0-16-0-11	7513
4.	एनपीएस 20-20-0-13	13131

5.	एनपीके 10-26-26-0	16293
6.	एनपी 20-20-0-0	12822
7.	एनपीके 15-15-15	11134
8.	एनपी 24-24-0-0	15387
9.	एएस 20.5-0-0-23	4398
10.	एनपी 28-28-0-0	17951
11.	एनपीके 17-17-17	12619
12.	एनपीके 19-19-19	14103
13.	एनपीके 16-16-16-0	11876
14.	एनपीएस 16-20-0-13	12379
15.	एनपीके 14-35-14	19910
16.	एनपीएस 24:24-0-8*	15387
17.	एमएपी 11-52-0-0	25635
18.	टीएसपी 0-46-0-0	20849
19.	एनपीके 12-32-16	18377
20.	एनपीके 14-28-14	16737
21.	एनपीकेएस 15-15-15-09	11348
22.	एनपी 14-28-0-0	15321
23.	एनपीके 8-21-21	13145
24.	एनपीके 9-24-24	14996
25.	पीडीएम (0:0:14.5:0)	1467

*** इसमें सल्फर पर राजसहायता शामिल नहीं है।**

4. एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों का कोई प्रकार जो एफसीओ के प्रावधानों के तहत बोरोन और जिंक से सम्पुष्ट/लेपित हो, राजसहायता का पात्र बना रहेगा। उर्वरकों के ऐसे सम्पुष्ट/लेपित ग्रेडों को प्राथमिक पोषकतत्वों के साथ उनके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नीचे उल्लिखित दरों के अनुसार प्रति मीट्रिक टन अतिरिक्त राजसहायता दी जाएगी:

क्रम सं.	**एफसीओ के अनुसार सम्पुष्टता के लिए पोषकतत्व**	**सम्पुष्ट/लेपित उर्वरकों के लिए ऊपर पैरा 3 में दर्शाई गई दरों के अतिरिक्त राजसहायता (रुपये/एम टी)**
1.	बोरोन (बी)	300
2.	जिंक (जेडएन)	500

5. निम्नलिखित पीएंडके उर्वरकों के लिए 01.10.2021 से 31.03.2022 तक लागू अतिरिक्त राजसहायता के साथ विशेष एकबारगी पैकेज निम्नवत होगा:-

क्र.सं.	**उर्वरकों का नाम**	**ऊपर पैरा 3 में दर्शाई गई दरों के अतिरिक्त राजसहायता (रुपये/एम टी)**
1.	डीएपी 18-46-0-0	8769
2.	एनपीएस 20-20-0-13	2000
3.	एनपीके 10-26-26-0	2000
4.	एनपीके 12-32-16	2000

6. पीएण्डके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की तर्कसंगतता की जांच करने के लिए उर्वरक कंपनियां पीएंडके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की तर्कसंगतता संबंधी विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाणित लागत आंकड़े प्रस्तुत करती रहेंगी। कंपनियां उर्वरक विभाग को नियमित रूप से पीएण्डके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगी। तर्कसंगत लाभ से अधिक प्राप्त किया गया लाभ अनुचित माना जाएगा और ऐसी कंपनियों के राजसहायता बिलों से वसूल किया जाएगा।

7. पीएंडके उर्वरक कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि पीएंडके उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों का एमआरपी यथाअधिसूचित राजसहायता दरों के अनुरूप बना रहे और तदनुसार उनके खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाए।

8. उर्वरक कंपनियों के लिए उर्वरक बोरियों पर लागू राजसहायता के साथ अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट रूप से अंकित करना अपेक्षित है। अंकित एमआरपी से अधिक पर कोई भी बिक्री करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।

9. तैयार उर्वरकों, उर्वरक आदानों के आयात के साथ-साथ उर्वरकों के वितरण और संचलन तथा स्वदेशी इकाइयों द्वारा उत्पादन की निगरानी वेब-आधारित ऑनलाइन "एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस)" के माध्यम से जारी रहेगी।

10. एसएसपी के विनिर्माताओं सहित पीएण्डके उर्वरकों के विनिर्माताओं/विपणनकर्ताओं/आयातकों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खुदरा बिक्री केंद्र तक उर्वरकों का परिवहन फ्रेट ऑन रोड (एफ.ओ.आर.) सुपुर्दगी आधार पर किया जाए।

11. अनुकूलित उर्वरकों एवं मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर अलग से कोई राजसहायता नहीं दी जाएगी।

12. पीएण्डके उर्वरकों के विनिर्माताओं/आयातकों को राजसहायता का भुगतान विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 25.10.2012 की अधिसूचना सं. डी(एफए)/सीसीईए/2011 और दिनांक 17.03.2017 की डी(एफए)/2016/डीबीटी में उल्लिखित प्रक्रिया तथा निबंधन और शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा।

13. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-
(डा. टीना सोनी)
निदेशक
दूरभाष: 23386398

सेवा में

1. सचिव (कृषि), डीएएण्डएफडब्ल्यू, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव (व्यय), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव (नीति आयोग),योजना भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव (मंत्रिमंडल), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
6. संयुक्त सचिव (आईएनएम), डीएएण्डएफडब्ल्यू, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव (पीएफ-II), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. संयुक्त सचिव (एनए), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
9. संयुक्त सचिव (एएस), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
10. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
11. मुख्य लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली
12. निदेशक (पीएंडके), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
13. निदेशक (वित्त)/निदेशक (बजट), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
14. उप सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
15. संयुक्त निदेशक (संचलन), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
16. निदेशक (उर्वरक राजसहायता), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
17. डीडीजी, एनआईसी, उर्वरक विभाग-वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर अपलोड करने हेतु।
18. महानिदेशक, एफएआई, नई दिल्ली।
19. सभी यूरिया विनिर्माता और पीएण्डके उर्वरक विनिर्माता एवं आयातक।

प्रतिलिपि:

1. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
2. आयुक्त/निदेशक, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के आयुक्तालय/कृषि निदेशालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) के निजी सचिव
2. माननीय राज्य मंत्री (रसायन और उर्वरक) के निजी सचिव
3. सचिव (उर्वरक) के निजी सचिव
4. अनुभाग अधिकारी (आईटी), उर्वरक विभाग-इसे उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

अनुलग्नक -II

दरें $ प्रति मी.टन

माह	डीएपी	एमओपी	फॉस्फोरिक एसिड	रॉक फॉस्फेट	अमोनिया	सल्फर	यूरिया
मई, 21	565	280	998	123	543	216	372
सितम्बर, 21	730	280	1160	144	625	234	513

****